न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 06/2024
3. उनवान : ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी पंचायत समिति जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण जरिये सरपंच ।

–निगरानीकार

बनाम

प्रेम देवी पत्नी रतन लाल जाट जाति जाट निवासी सुण्डो की ढाणी, ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

– विपक्षी/गैरनिगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 06/12/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री हजारी लाल शर्मा गैर निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 ने आवेदन पट्टा चाहने बाबत् वास्तविक तथ्यों को छुपाकर पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के विपरीत जाकर नियम विरुद्ध निगरानीकार से उप स्वास्थ्य केन्द्र बबेरवालों की ढाणी राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि खसरा नम्बर 811/6 में पट्टा संख्या 22 क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज जारी करवा लिया। उक्त पट्टे की आड में, उप स्वास्थ्य केन्द्र की भूमि पर निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करने पर ग्रामवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र ज्ञापन के रूप में विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया गया, जिस पर विकास अधिकारी के द्वारा उक्त संदर्भ में जांच कमेटी गठित कर उक्त पट्टे की जांच करवायी गई, जिसमें उक्त पट्टे को विधि विरुद्ध माना गया तथा निरस्त कराने बाबत् सक्षम न्यायालय में निगरानी पेश करने के लिये निगरानीकार को निर्देशित किया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टा जो विधि विरुद्ध व पंचायत राज प्रावधानों के विपरीत गैर निगरानीकार संख्या 1 को बुक नम्बर 60 पट्टा संख्या 22 मिसल संख्या 25/2013-2014 दायर दिनांक 5/8/2014 पट्टा विलेख दिनांक 20/6/2015 संकल्प संख्या 4/20-6-2015 द्वारा पट्टा आवंटन जारी किया गया। जिसको विकास अधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त पट्टे में कई प्रकार की वैधानिक त्रुटियां है जो राजस्थान पंचायती राज नियम 140 के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि जो पंचायत में निहित की गई हो, पर ही पट्टा आवंटन प्रक्रिया अपनाई जाती है। उक्त पट्टा आवंटन उप स्वास्थ्य केन्द्र बबेरवालों की ढाणी को वर्ष 15/12/2004 को उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु आवंटित किये जाने से व इस खसरा नम्बर 811 की भूमियां राजकीय कार्यालयों को आवंटित की गई है, जिससे पट्टा भूमि पंचायत के क्षेत्राधिकार में निहित नही है। आवंटन व शपथ पत्र प्रेम देवी पत्नी रतन लाल जाट के नाम से पत्रावली में संलग्न है जिसमें दिनांक व हस्ताक्षर का अभाव है। पट्टा पत्रावली अनुसार रिकार्ड में आवेदन शुल्क रसीद का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी का किसी प्रकार का कार्यालय आदेश नहीं होना पाया गया, ना ही किसी भी पास पड़ौसी ग्रामवासीगण व अन्य किसी के मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा हस्ताक्षर करवाये गये, बयान

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) ज.

करवाये गये मौका निरीक्षण दिनांक इत्यादि का भी अभाव पाया गया। पंचायती राज नियम 148 के तहत जारी नोटिस में पंचायत के जावक रजिस्टर है, उसमें क्रमांक दर्ज नही है। इसी प्रकार पट्टा शुल्क 200/- रूपये की रसीद का रिकार्ड में नहीं होना पाया गया हैं। गैर निगरानीकार संख्या 1 को नियम 157 (1) आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया है जिस हेतु पुश्तैनी आवास भूमि पर कब्जा हेतु प्रमाणित साक्ष्य किसी प्रकार के निवास से संबंधित व्यक्तियों के बयान इत्यादि का पत्रावली में उल्लेख संलग्न का अभाव पाया गया हैं। जबकि कमेटी द्वारा स्थल का मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर उप स्वास्थ्य केन्द्र बबेरवालों की ढाणी के अतिक्रमण मुक्त भूमि आवंटन समय की स्थिति अनुसार पूर्णतया खाली है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा भी कमेटी को बताया गया कि आवंटन से पूर्व एवं पश्चात पट्टाधारक का कोई कब्जा नहीं था। आवासीय भूमि का पट्टा नियम 157 (1) उन पात्र व्यक्तियों को दिया जाता है जो राजस्व नियमानुसार उस पैतृक सम्पत्ति पर अपना हक रखते है। मुखिया के जीवित रहते पत्नी को पट्टा दिया जाना नियमानुसार नहीं है, के बावजूद उपस्वास्थ्य केन्द्र बबेरवालो की ढाणी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 811/6 में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कूटरचित दस्तावेजात तैयार कर पट्टा जारी किया गया। उक्त निगरानीधीन पट्टे को निरस्त कराने बाबत् पंचायत समिति जोबनेर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक पसजो/2024/280 दिनांक 01/02/2024 के द्वारा निगरानीकार को निर्देशित किया गया, जिस कारण उक्त निगरानीधीन निर्णय की जानकारी हुई तत्पश्चात नकलें आदि प्राप्त कर अविलम्ब निगरानी अन्दर मियाद पेश की जा रही हैं। वैसे भी विधि विरुद्ध आदेशों के विरुद्ध मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है।

अन्त मे निवेदन किया गया है कि संकल्प संख्या 04 के द्वारा पट्टा संख्या 22 दिनांक 20/6/2015 को व इससे संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र धारा 5, निगरानीधीन पट्टा संख्या 22 दिनांक 20.06.2015 एवं इससे संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की हैं।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। नोटिस तलबी गैरनिगरानीकार जारी किये गये। गैर निगरानीकार की ओर से अधिवक्ता श्री हजारी लाल शर्मा उपस्थित हुए।

गैर निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की समस्त कार्यवाही पंचायत अधिनियम के तहत वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुये की है। पंचायत ने अपने निर्णय दिनांक 20/6/15 में 200 रु0 फीस जमा होने पर पट्टा जारी करने का निर्णय दिया था जिसकी पालना में पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20/6/15 के अनुसार 200 रु० जरिये रसीद सं० 62 पंचायत कोष में जमा कराये है, जिसका इन्द्राज पट्टा सं0 22 जो प्रेमदेवी के नाम जारी किया गया अंकित है। निगरानीकर्ता ने जिस पट्टे के आधार पर निगरानी की है, उसमे रसीद नंबर रूपयों में कांट छांट की गयी है। पंचायत ने प्रस्ताव सं0 14 दिनांक 5/8/2014 में मौका निरीक्षण हेतु श्रवणलाल, धन्नालाल, मूली देवी वार्ड पंचो की कमेटी गठित करते हुये मौका रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित किया था। पंचायत द्वारा जारी नोटिस मे कमांक गं० पं० 5 दिनांक 20/9/14 अंकित है व 200 रु० जरिये रसीद सं० 62 के जमा होने का इन्द्राज पट्टे में अंकित है। पंचायत ने वार्ड पंचो की रिपोर्ट के अनुसार पट्टा जारी किया है जिस पर पट्टाधारक का कब्जा चला आ रहा है। अतिरिक्त कथन में अंकित है कि उक्त 88.88 वर्ग गज भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी द्वारा गै० मु० आबादी में से मिसल सं0 25 सन 2013-14 दायर दिनांक 5/08/2014 को निर्धारित फीस जरिये रसीद सं० 62 दिनांक 8/02/16 को जमा की जाकर बुक नंबर 60 पट्टा सं० 22 दिनांक 08/02/2016 को विपक्षी प्रेमदेवी के नाम जारी किया गया था। विपक्षी

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

सं० 1 प्रेमदेवी उपरोक्त पट्टे शुदा भूमि 88.88 वर्ग गज मे से 22.22 वर्ग गज भूमि सांवरमल को दिनांक 18/02/2018 को बेचान कर विक्रय विलेख उपपंजीयक सांभर के निष्पादित करा दिया जो कमांक 201603302101111 पर पंजीयन है। जिसकी फोटो कोपी संलग्न है। उक्त पट्टेशुदा भूमि में विपक्षी प्रेमदेवी की एंव स्वामित्व अधिपत्य की है। राज्य सरकार द्वारा आंवटित उपस्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी का निर्माण अधिकृत ठेकेदार के जरिये प्रेमदेवी एंव सांवरमल के स्वामित्व अधिपत्य, पट्टेशुदा भूमि में कराया जा रहा है जिस पर पट्टाधारक व सांवरमल ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 5/12/2022 को आवेदन कर उक्त पट्टाशुदा भूमि पर किसी तरह का निर्माण न कर उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु आंवटित भूमि पर निर्माण कराने का निवेदन किया। किन्तु उनके द्वारा कोई सुनवाई न करने पर उनके अधिनस्थ जबरन पट्टेशुदा भूमि मे उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण करने पर उतारू होने पर सिविल वाद व टी आई सक्षम न्यायालय मे पेश की गयी जिसमे स्वास्थ्य विभाग को पांबद किया हुआ है एंव प्रकरण विचाराधीन है। राजस्व नक्शे मे स्वास्थ्य विभाग को आवंटीत भूमि खसरा नंबर 811/1/6 को नजरी नक्शे में अंकित की है, वह स्थान दक्षिण ओर है जबकि प्रेमदेवी की पट्टेशुदा भूमि आबादी भूमि के उतरी ओर कोने में जहां प्रेमदेवी का कब्जा है, का पट्टा जारी किया गया है इस प्रकार पट्टेशुदा भूमि जहां स्थित है वहां न तो स्वास्थ्य विभाग का कब्जा है न ही रेकार्ड मे अंकित है।

अन्त में निगरानी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली वास्ते बहस नीयत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि बबेरवालों की ढाणी में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि खसरा नम्बर 811/6 में गैरनिगरानीकार ने पट्टा संख्या 22 क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज जारी करवा लिया। उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करने पर ग्रामवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र ज्ञापन के रूप में विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया। राजस्थान पंचायती राज नियम 140 के तहत पंचायत में निहित ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर ही पट्टा आवटन प्रक्रिया अपनाई जाती है। खसरा नम्बर 811 की भूमियां राजकीय कार्यालयों को आवंटित की गई है, जिससे पट्टा भूमि पंचायत के क्षेत्राधिकार में निहित नही हैं। पट्टा पत्रावली में मौका निरीक्षण का कार्यालय आदेश, नोटिस में क्रमांक एवं पट्टा शुल्क रसीद नहीं है। मौके पर उप स्वास्थ्य केन्द्र की अतिक्रमण मुक्त भूमि आवंटन समय की स्थिति अनुसार पूर्णतया खाली है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा भी कमेटी को बताया गया कि आवंटन से पूर्व एवं पश्चात पट्टाधारक का कोई कब्जा नहीं था। मुखिया के जीवित रहते पत्नी को पट्टा दिया जाना नियमानुसार नहीं है। अतः निगरानीधीन पट्टा पंचायती राज नियमों के विपरीत जारी होने के कारण पट्टा खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि पंचायत ने अपने निर्णय दिनांक 20/6/15 में 200 रु0 फीस जमा होने पर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया था जिसकी पालना में पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20/6/15 के अनुसार 200 रु० जरिये रसीद सं० 62 पंचायत कोष में जमा कराये है, जिसका इन्द्राज पट्टा सं0 22 जो प्रेमदेवी के नाम जारी किया गया। रसीद नंबर रूपयों में कांट छांट की गयी है। पंचायत द्वारा जारी नोटिस मे कमांक एस पी 5 दिनांक 20/9/14 अंकित है। गैरनिगरानीकार द्वारा पट्टेशुदा भूमि 88.88 वर्ग गज मे से 22.22 वर्ग गज भूमि सांवरमल को दिनांक 18/02/2018 को जरिये विक्रय विलेख बेचान कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकार की पट्टेशुदा भूमि पर जबरन निर्माण करने पर एक सिविल वाद व टी आई सक्षम न्यायालय मे पेश की गयी जिसमे स्वास्थ्य विभाग को पांबद किया हुआ है एंव प्रकरण विचाराधीन है। पट्टेशुदा भूमि जहां स्थित है वहां न तो स्वास्थ्य विभाग का कब्जा है न ही रिकॉर्ड मे अंकित है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी बनाम प्रेम सैनी

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्तागण की बहस तथ्यगणीय पर मनन किया गया। हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 के विरुद्ध पेश की गई है। निगरानीकार का कथन है कि उक्त निगरानीधीन पट्टे के संबंध में विकास अधिकारी द्वारा जांच कमेटी गठित कर पट्टे की जांच करने पर उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर विधि विरुद्ध जारी किया गया जबकि उक्त भूमि पूर्व में ही उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु आवंटित की जा चुकी है। जिसके जवाब मे गैरनिगरानीकार का तथ्य है कि निगरानीधीन भूमि पर गैरनिगरानीकार का कब्जा है तथा उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर पंचायती राज अधिनियम के तहत विधि सम्मत जारी किया हुआ है।

विकास अधिकारी ग्राम पंचायत की जांच रिपोर्ट दिनाक 30.01.2024 में अंकित है कि उक्त निगरानीधीन पट्टा आवंटन उप स्वास्थ्य केन्द्र बबेरवालों की ढाणी को 15.12.2004 को उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु आवंटित है व इस खसरा नंबर 811 की भूमियां राजकीय कार्यालयों को आंवटित की गई है जिससे पट्टा भूमि पंचायत के क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है। नियम 157 (1) आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया है जिस हेतु पुश्तैनी आवास भूमि पर कब्जा हेतु प्रमाणित साक्ष्य किसी प्रकार के निवास से संबंधित व्यक्तियों के बयान इत्यादि का पत्रावली में उल्लेख/संलग्न नहीं है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया कि आवंटन से पूर्व एव पश्चात पट्टा धारक का कोई कब्जा नहीं था। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार का निगरानीधीन भूमि पर पुश्तैनी आवास तथा कब्जा नहीं है जिससे वे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। उक्त भूमि पूर्व में ही 15.12.2004 को उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु आवंटित की जा चुकी है एवं इस खसरा नं. 811 की भूमि राजकीय कार्यालय हेतु आवंटित है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.04.2023 में मौके पर सीमाज्ञान कर विभाग को कब्जा सुपुर्दगी किये जाने का अंकन किया गया है, जिससे सुस्पष्ट है कि उक्त भूमि मौके पर खाली है जिस पर गैर निगरानीकार का कोई निर्माण नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 व 158 के तहत ग्राम पंचायत खाली भूमि पर पट्टा जारी नहीं कर सकती। साथ ही निगरानीधीन भूमि का आवंटन 15.12.2004 को उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु हो चुका था बावजूद इसके ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार को उसी भूमि का पट्टा 20.06.2015 को जारी कर दिया गया जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की स्पष्ट अवहेलना है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा आवंटनशुदा भूमि पर पुनः गैरनिगरानीकार को पट्टा जारी करने के कारण निगरानीधीन पट्टा संख्या 22 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

निगरानीधीन पट्टा संख्या 22 ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध जारी कर दिया गया जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में निगरानी प्रस्तुतीकरण मे मियाद का बिन्दू लागू नहीं होता। तदानुसार निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुतीकरण में विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी के संकल्प संख्या 04 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 22 दिनांक 20.06.2015 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली का फैसला दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर